

नहीं करेगा।"।

वर्तमान प्रकरण आरजी संख्या 3364/3036
की पत्थरगढ़ी का है परन्तु उक्त भाराजियात
पूर्व के प्रकरण में वादग्रस्त भाराजियात है एवं
इसके सब्यसे में विचारणीय दौषणा एवं
इसका दुस्ती का वाद प्रत्यक्षतः एवं सारतः
वर्तमान प्रकरण को प्रभावित करता है। पूर्ववर्ती
वाद के निर्धारण के पश्चात् ही वर्तमान के
पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र का निर्णय किया
जाना गयित है। ऐसे में वर्तमान प्रकरण CPC
1908 की धारा से प्रभावित होने से पूर्ववर्ती
वाद के साथ संलग्न किया जाने का भाविका
दिया जाता है। इस प्रकरण में मागे की कार्यवाही
शेकी जाकर मागे की कार्यवाही प्रकरण संख्या
84/2022 में की जाय। प्रकरण इसी स्तर
पर नम्बर से कम किया जाय।



